

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013/ ८०५

दिनांक:- १५/८/१३

आदेश

मण्डल की स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौंदा) के उपलब्ध सरप्लस आवासों का निलामी द्वारा निस्तारण की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निलाम में किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नांकित है :-

क्रम सं.	आवास संख्या (चार आवास)
1.	2 / 363
2.	2 / 376
3.	2 / 384
4.	2 / 387

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(टीकम चन्द बोहरा)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि), राज0 आ0 म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी.एण्ड.एम अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राज0 आ0 म0, जयपुर।
5. ~~उप आवासन अयुक्त, वक्तृता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।~~
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड दोसा राजस्थान आवासन मण्डल, दौसा।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक